न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 50 / 2024   **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024 / 542**
दायर दिनांक :– 11.03.2024   **निर्णय दिनांक :– 10.03.2025**

1. सोहनराम पुत्र हरचन्दराम जाति विश्नोई निवासी हनुमाननगर तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. हजारी पुत्र गोमाराम जाति विश्नोई निवासी हनुमाननगर तहसील बाप जिला फलोदी
2. बीरबलराम पुत्र मिश्रीराम जाति विश्नोई निवासी हनुमाननगर तहसील बाप जिला फलोदी
3. भंवरलाल पुत्र मिश्रीराम जाति विश्नोई निवासी हनुमाननगर तहसील बाप जिला फलोदी
4. छगनी पत्नी अनाराम जाति विश्नोई निवासी हनुमाननगर तहसील बाप जिला फलोदी
5. हीरादेवी पुत्री अनाराम जाति विश्नोई निवासी हनुमाननगर तहसील बाप जिला फलोदी
6. समा पुत्री अनाराम जाति विश्नोई निवासी हनुमाननगर तहसील बाप जिला फलोदी
7. हनुमानराम पुत्र अनाराम जाति विश्नोई निवासी हनुमाननगर तहसील बाप जिला फलोदी
8. बिड़दाराम पुत्र हरचन्दराम जाति विश्नोई निवासी हनुमाननगर तहसील बाप जिला फलोदी
9. भाखरराम पुत्र हरचन्दराम जाति विश्नोई निवासी हनुमाननगर तहसील बाप जिला फलोदी
10. गोपीराम पुत्र हरचन्दराम जाति विश्नोई निवासी हनुमाननगर तहसील बाप जिला फलोदी
11. किसनाराम पुत्र मिश्रीराम जाति विश्नोई निवासी हनुमाननगर तहसील बाप जिला फलोदी
12. किसनाराम पुत्र मेहराम जाति विश्नोई निवासी हनुमाननगर तहसील बाप जिला फलोदी
13. जीवणराम पुत्र मेहराम जाति विश्नोई निवासी हनुमाननगर तहसील बाप जिला फलोदी
14. दोलाराम पुत्र मेहराम जाति विश्नोई निवासी हनुमाननगर तहसील बाप जिला फलोदी
15. गोरधनराम पुत्र मेहराम जाति विश्नोई निवासी हनुमाननगर तहसील बाप जिला फलोदी
16. शाखा प्रबन्धक यूको बैंक शाखा बाप तहसील बाप जिला फलोदी
17. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा नोख तहसील बाप जिला फलोदी
18. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई शाखा बाप तहसील बाप जिला फलोदी
19. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सिविल प्रकिया संहिता, 1908

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सिविल प्रकिया संहिता, 1908 इस आशय से पेश किया है कि ग्राम हनुमाननगर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 229 रकबा 66–03 बीघा, खसरा नम्बर 233 रकबा 47–17 बीघा, खसरा नम्बर 255 रकबा 92–08 बीघा, खसरा नम्बर 256 रकबा 206–04 बीघा, खसरा नम्बर 260 रकबा 55–17 बीघा एवं ग्राम कानासर के

10/3/25
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

खसरा नम्बर 1063 रकबा 182–04 बीघा भूमि स्थित है। अप्रार्थी ने प्राथी के विरूद्व राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर कोर्ट बाप में पेश किया जिसके मुकदमा नम्बर 117/2017 है। उक्त वाद के निर्णय एवं डिकी सहायक कलक्टर बाप द्वारा दिनांक 16.04.2021 को कर दिया था। उक्त निर्णय के आधार नामान्तरकरण संख्या 178 मौजा हनुमाननगर तथा नामान्तरकरण संख्या 2627 मौजा कानासर भरा जाकर स्वीकृत हुआ। उक्त निर्णय की जानकारी प्रार्थी को होने पर प्रार्थी ने उक्त निर्णय की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की जिसके मुकदमा नम्बर 342/2021 है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 15.12.2023 को कर पूर्व निर्णय दिनांक 16.04.2021 को अपास्त कर दिया। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के निर्णय द्वारा दिनांक 16.04.2021 को सहायक कलक्टर बाप के निर्णय को निरस्त कर दिया गया है लेकिन आज दिन तक पूर्व निर्णय अनुसार ही राजस्व रेकर्ड में में इन्द्राजात है और वर्तमान में उक्त वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में हेरफेर होने के आसार है जो सरासर गलत है। पूर्व निर्णय के अपास्त होने से वर्तमान राजस्व इन्द्राजात का कानूनन कोई महत्व नहीं रहा है लेकिन फिर भी पूर्व निर्णय अनुसार ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। इसलिये उक्त पूर्व निर्णय के नामान्तरकरण संख्या 178 मौजा हनुमाननगर तथा नामान्तरकरण संख्या 2627 मौजा कानासर से पूर्व की स्थिति कायम किया जाना न्यायोचित है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अधिवक्ता प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 पर बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन एवं मनन करने पर पाया गया कि न्यायालय सहायक कलक्टर बाप के निर्णय/डिकी दिनांक 16.04.2021 की पालना में मौजा हनुमाननगर नामान्तरण संख्या 178 व मौजा कानासर नामान्तरकण संख्या 2627 भरा जाकर स्वीकृत हुवा। उक्त निर्णय एवं डिकी अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.12.2023 को अपास्त किये गये है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि नामान्तरकरण संख्या 178 मौजा हनुमाननगर एवं नामान्तरकरण संख्या 2627 मौजा कानासर जिस निर्णय के आधार पर दर्ज हुआ है। वह निर्णय अपीलीय न्यायालय द्वारा अपास्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तरकरण संख्या 178 मौजा हनुमाननगर व नामान्तरकरण संख्या 2627 मौजा कानासर से पूर्व की राजस्व अभिलेख की स्थिति पुनः स्थापित की जानी कानूनी तौर पर आवश्यक है। न्यायालय सहायक कलक्टर बाप के राजस्व वाद संख्या 117/2017 में पारित निर्णय/डिकी दिनांक 16.04.2021 के अपास्त हो जाने की स्थिति में इस डिकी की पालना में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 178 मौजा हनुमाननगर व नामान्तरकरण संख्या 2627 मौजा कानासर के अनुसार अंकित प्रविष्टयों को यथावत रखना न्यायोचित नहीं है अपितु धारा 144 सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार उक्त डिकी से पूर्व की

10/3/25

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

स्थिति को पुर्नस्थापित किया जाना आवश्यक है। उक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

—:: आदेश ::—

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सिविल प्रकिया संहिता, 1908 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि राजस्व वाद संख्या 117/2017 में पारित निर्णय/डिकी दिनांक 16.04.2021 की पालना में मौजा हनुमाननगर के नामान्तरकरण संख्या 178 व मौजा कानासर के नामान्तरकरण संख्या 2627 को निरस्त करते हुवे राजस्व अभिलेख में पूर्व की स्थिति कायम की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/3/25

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर
बाप, जिला फलोदी (राज.)